

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 18/06/2025

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद में विमुक्त कुल राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्वास्थ्य समिति को रु० 15,63,85,666- (रुपये पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख पचासी हजार छ. सौ छियासठ) मात्र उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-963 दिनांक-21.05.2025 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवटनादेश के आलोक में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission के केन्द्रांश मद में विमुक्त कुल राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एव उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,666/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार छ सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,666/- (रुपये नौ अरब तीन करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र की मांग की गई थी, जिसे विभागीय स्वीकृत्यादेश स०-47(7) दिनांक-22.05.2025 एव आवटनादेश सं०-48(7) दिनांक-22.05.2025 के द्वारा स्वीकृति देते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति को आवटित कर दी गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के माध्यम से केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश मद में उपबधित राशि से रु० 3,45,91,08,000/- (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड़ इक्यानवे लाख आठ हजार) मात्र का आवंटन प्रदान किया गया। जिसमें बजटीय उपबध के अभाव के कारण रु० 15,63,85,666- (रुपये पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख पचासी हजार छ सौ छियासठ) मात्र की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समानुपातिक राज्यांश की बकाया राशि रु० 15,63,85,666- (रुपये पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख पचासी हजार छ सौ छियासठ) मात्र सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है।

2- उक्त प्रसंग में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद में विमुक्त कुल राशि

रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र राहायक अनुदान मद के विरुद्ध समानुपातिक राज्याश के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 मे राज्य स्वास्थ्य समिति को रु० 15,63,85,666- (रुपये पन्द्रह करोड तिरसठ लाख पचासी हजार छ सौ छियासठ) मात्र उपलब्ध कराये जाने सबधी व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है -

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt of India(2025 26)						
SI No	Letter no			Amount(Central Shares 60%)	Amount(State Shares 40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission					
	G.27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt 20 05 25	General	3601 06-101 16 06 31(GBS)	2720800000	1813866667	4534666667
			3601 06-101-16-06 35(GBS)	3023000000	2015333333	5038333333
			Total	3023100000	2015400000	5038500000
		SC	3601-06-789-80 01 31(GBS)	776800000	5178666667	1294666667
			3601-06-789-80-01-35(GBS)	863000000	5753333333	1438333333
			Total	863100000	575400000	1438500000
		ST	3601-06-796-86 01-35(GBS)	15700000	1046666667	2616666667
			3601-06-796-86 05-35(GBS)	1800000	1200000	3000000
			Total	17500000	1166666667	2916666667
		PMSSN	3601 06 101-16-08 31	1467400000	9782666667	2445666667
		DA-JGUA	3601 06 795 86 05 31	46900000	312666666	781666666
			3601 06 796 86 05 35	5200000	34666666	86666666
			Total	52100000	34733333	86833333
			Total(General+Sc+ST+PMSSN+DA JGUA)	5423200000	3615466666	9038666666

4- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से घटकवार विकलनीय होगा:-

- मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-0302-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037960302, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड) मे से 5,63,58,666/- (रुपये पाँच करोड तिरसठ लाख अठावन हजार छ सौ छियासठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-0302-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037960302, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 40,00,00,000/- (रुपये चालीस करोड) मे से रु० 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

5- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र सं०-870 दिनांक-25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अध्यक्ष परिपत्र के आलोक में करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निम्नवत् SNA में राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेंगे-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

7- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

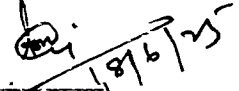
9- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2) के पृष्ठ- 25 /टि० पर प्राप्त है।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

11- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- एतदसंबंधी आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2)- 88 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक- 18/06/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

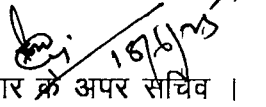
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न0-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव ।
Meena